

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-166 / 2011

संस्थित दिनांक-28.03.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// **विरुद्ध** //

सुरेश कुमार पिता मधुकर यादव, उम्र 28 वर्ष,

निवासी-ग्राम कौयली खापा, थाना गढ़ी,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-10/11/2014 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-01.03.2011 को समय 19:45 बजे स्थान नूनकाटोला के पास मेन रोड़ आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत वाहन बुलेरो क्रमांक-एम.पी.50/जी.0608 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहन से मृतक राजाराम को ठोस मारकर उसकी मृत्यु कारित किया जो कि अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक- 01.03.2011 को समय 7:45 बजे ग्राम नूनकाटोला के पास आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत एक अज्ञात वाहन चालक के द्वारा मृतक राजाराम को ठोस मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसकी सूचना प्रार्थी सुद्धसिंह ने थाना गढ़ी में देने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्रमांक-15/2011, धारा-279, 337 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने आहत राजाराम की चोटो का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा ईलाज के दौरान मृत्यु होने पर मृतक राजाराम के शव का परीक्षण करवाया। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। साक्षियों के कथन के आधार पर आरोपी से दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त किया गया तथा जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार

कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-01.03.2011 को समय 19:45 बजे स्थान नुनकाटोला के पास मेन रोड़ आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत वाहन बुलेरो क्रमांक-एम.पी.50/जी.0608 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतक राजाराम को ठोस मारकर उसकी मृत्यु कारित किया, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

#### विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— सूचनाकर्ता सुद्धसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह आरोपी का नहीं जानता है। घटना फागुन माह के समय शाम 7 बजे की है। वह शाम को बाजार से घर आया तो गांव के सरपंच ने उसे बुलाकर नुनकाटोला की रोड़ के पास घटना स्थल पर ले गया, जहां पुलिस उपस्थित थी। उसे घटना स्थल पर बेहोश पड़ा हुआ व्यक्ति को पहचानने के लिये बोला गया तो उसके द्वारा उस व्यक्ति को पहचान की गई जो उसका बहन दामाद रज्जू था। उसके द्वारा प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट नहीं की गई थी। उसे रज्जू की मृत्यु की होने के बाद पुलिस ने बताया था कि एक्सीडेंट से रज्जू की मौत हो गई थी। उसके द्वारा घटना होते हुये नहीं देखी गई थी। उसे घटना किस गाडी से हुई, नहीं मालूम। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखा था। साक्षी ने उसके द्वारा लिखायी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पढ़कर सुनाये जाने पर ऐसी रिपोर्ट लिखाये जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा केवल इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि उसके दामाद मृतक रज्जू की घटना स्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी, किन्तु उक्त मृत्यु किस कारण हुई इस का खुलासा साक्षी ने अपने कथन में नहीं किया है और न ही यह प्रकट किया है कि कथित दुर्घटना किसी वाहन से अथवा आरोपी के वाहन से हुई थी।

6— छत्तरसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह आरोपी को जानता है। घटना 10 माह पूर्व शाम के समय 7-7:30 बजे की है। उसका भाई

अनिल जो कि वाहन 207 में था, उसने उसे बताया था कि 207 की गाड़ी से एक पैदल राहगीर कि टक्कर लगने से मृत्यु हो गई है। उसने घटना नहीं देखा था, परन्तु अनिल ने उसे बताया था कि घटना वाहन चालक की गलती से हुई थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय गांव में था और उसने घटना होते हुये नहीं देखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना कारित वाहन कौन चला रहा था, उसे नहीं मालूम। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

7— सुरजीत उर्फ सुजीत अवधिया (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षद्वोही कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे याद नहीं कि दुर्घटना दिनांक को उसने आरोपी सुरेश को अपना वाहन देकर गढ़ी भेजा था या नहीं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके पास दो-तीन डायवर है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे सुरेश ने नहीं बताया कि वाहन का एक्सीडेंट हुआ है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— अनिल कुमार (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के 7 बजे की है। वे लोग पिकअप वाहन में बैठकर खुर्सीपार से नेवसार जा रहे थे तभी पिकअप वाहन कि टक्कर एक लडके से हो गई थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी। पिकअप वाहन को आरोपी नहीं चला रहा था, परन्तु जो पिकअप वाहन को चला रहा था, उसकी गलती से घटना हुई थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मेटाडोर को उसका चालक तेज गति से चला रहा था तथा उसने राजाराम को ठोस मारने की आवाज आने पर उसने चालक को बताया था, लेकिन चालक ने मेटाडोर नहीं रोका। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह वाहन में सामने बैठा था और व्यक्ति वाहन के पीछे के हिस्से से टकराया था, इस कारण नहीं बता सकता कि गलती चालक की थी या नहीं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में नहीं की है तथा अभियोजन मामले के विपरीत कथित वाहन को आरोपी के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा चालन किये जाने के कथन पेश किये जाने से साक्षी के कथन से अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि साक्षी द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य से अभियोजन का मामला आरोपी के विरुद्ध संदेहास्पद हो जाता है।

9— चिकित्सीय साक्षी डाक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-01.03.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में

चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को 10:20 बजे थाना गढ़ी के आरक्षक शरद क्रमांक-989 द्वारा आहत राजाराम को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिस पर उसके द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। आहत को आयी चोटे कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी तथा उसके द्वारा आहत को एक्सरे की सलाह दी गई थी और भर्ती कर आगे के ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास रिफर किया गया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, साक्षी का आगे यह भी कथन है कि आहत की ईजाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना उसके द्वारा आरक्षी केन्द्र को दी गई थी। आरक्षी केन्द्र द्वारा शव विच्छेदन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसके द्वारा मृतक के शव का परीक्षण किया गया था। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु सदमा होना पाया गया था, जो कि सिर पर आयी प्राण घातक चोट तथा अत्याधिक मात्रा में हुए रक्तस्त्राव के कारण मृत्यु होना प्रतीत होती है। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में मृतक राजाराम को दुर्घटना के पश्चात् उसकी चोटों का परीक्षण करने तथा पश्चात् में मृत्यु हो जाने पर उसका शव परीक्षण करने की पुष्टि कर दुर्घटना के कारण मृतक की मृत्यु हो जाने का समर्थन किया है।

10— सुखचंद मरकाम (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वह मृतक राजाराम को जानता है, जिसकी मृत्यु करीब 2 साल पहले रात के समय एक्सीडेंट या सिकी कारण से हुई थी। उसने मौके पर जाकर देखा था। मृतक राजाराम ग्राम सिझोरा के पास रोड़ के किनारे बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे सिर में गम्भीर चोट लगी हुई थी और खून निकल रहा था। उसके साथ एक पुलिस वाला भी था, राजाराम को उठाकर बैहर अस्पताल भिजवाये थे। उसे बाद में जानकारी हुई थी कि राजाराम की मृत्यु हो गई है। पुलिस को पूछताछ में उसने उक्त के संबंध में जानकारी दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना किस वाहन से तथा किसने की थी, उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार आरोपी के विरुद्ध इस साक्षी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश न करते हुये अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।

11— अशोक कुमार (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह वाहन चालक का कार्य करता है। पुलिस ने उसे पिकअप बुलेरो वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करने के लिये दिया था। उसने उक्त वाहन का परीक्षण कर वाहन में कोई यांत्रिकी त्रुटि नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— अनुसंधानकर्ता अधिकारी बी.पी.दुबे (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-01.03.2011 को थाना गढ़ी में सहायक निरीक्षक के पद



पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सुद्धसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्रदर्श पी-1 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-15/2011, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184, 134/187 मो.व्ही.एक्ट का लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा प्रार्थी का अंगुठा निशानी है। विवेचना के दौरान उसके द्वारा प्रार्थी सुद्धसिंह की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा प्रार्थी सुद्धसिंह, छत्तरसिंह, अनिल, सुरजीत, सुखचंद के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। दिनांक-09.03.2011 को आरोपी से साक्षियों के समक्ष एक बुलेरो पिकअप वाहन डाला वाली क्रमांक-एम.पी.50/जी.0608 मय दस्तावेज एवं ड्रायविंग लायसेंस सहित जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा प्रकरण में संलग्न किया गया है।

13- उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी सुद्धसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते समय वाहन का नाम व नम्बर नहीं बताया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में फरियादी के द्वारा अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किया जाना प्रकट होता है, जबकि फरियादी सुद्धसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना होते हुये नहीं देखे जाने के कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लिखाये जाने से भी इन्कार किया है। फरियादी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण ने भी अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान कथित दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में नहीं की है तथा आरोपी के द्वारा कथित वाहन चलाये जाने का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

14- प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण व चक्षुदर्शी साक्षीगण ने घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को चलाये जाने के संबंध में समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षीगण के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतक राजाराम की किसी वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चूंकि किसी भी साक्षी के द्वारा आरोपी को घटना के समय कथित दुर्घटना कारित वाहन चलाये जाते हुए देखे जाने की साक्ष्य पेश नहीं की है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है, जिस कारण आरोपी को मृतक राजाराम की मृत्यु हेतु जिम्मेदार ठहराया जा सके।

15— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में कथित दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक राजाराम को वाहन से ठोस मारकर मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 304(ए) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बुलेरो पिकअप वाहन क्रमांक-एम.पी.50/जी. 0608 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार सुजीत वल्द कृष्ण कुमार अवधवाल को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट